न्यायालय जिला मजिस्ट्रेट, कोटा

पीठासीन अधिकारी : उज्ज्वल राठौड़ आई०ए०एस०

GCMS No. 2021/83 (Bank Case)
Manual no- 57/2021

एस.आर.जी हाउसिंग फाईनेंस लिमिटेड जिसका मुख्य व्यवसायिक कार्यालय 321, एस एम लोडा कॉम्पलेक्स, शास्त्री सर्कल उदयपुर में स्थित व कार्यरत है।

– प्रार्थी

बनाम

1. श्री महेंद्र कुमार मीणा पुत्र श्री राम गोपाल मीणा जाति मीणा निवासी जलदाय विभाग के पीछे, ईटावा, तहसील पिपलदा, जिला कोटा (राज.) 325004 **(ऋणी)**
2. श्रीमती चमेली बाई पत्नी श्री राम गोपाल मीणा जाति मीणा निवासी जलदाय विभाग के पीछे, ईटावा, तहसील पिपलदा, जिला कोटा (राज.) 325004 **(सहऋणी)**
3. श्री सुरेंद्र कुमार मीणा पुत्र श्री राम गोपाल मीणा जाति मीणा निवासी जलदाय विभाग के पीछे, ईटावा, तहसील पिपलदा, जिला कोटा (राज.) 325004 **(सहऋणी)**
4. श्री लोकेश कुमार मीणा पुत्र श्री बंशी लाल मीणा जाति मीणा निवासी वार्ड सं. 29, लाबान, जिला बुंदी (राज.) 323603 **(जमानती)**
5. श्री जमना लाल मीणा निवासी तिखोड फेक्ट्री , बरन, तहसील अंता, जिला बुंदी (राज.)323603 **(जमानती)**

– अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 14 वित्तिय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुनर्गठन और प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम 2002

उपस्थितः–
श्री कुलदीप सिंह जादौन, अभिभाषक प्रार्थी

आदेश

दिनांकः 28.09.2021

संक्षेप मे प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि एस.आर.जी हाउसिंग फाईनेंस लिमिटेड जिसका मुख्य व्यवसायिक कार्यालय 321, एस एम लोडा कॉम्पलेक्स, शास्त्री सर्कल उदयपुर से अप्रार्थीगण ने दिनांक 28.12.2017 को 4,00,000/–(अक्षरे: रूपये चार लाख मात्र) का ऋण लिया था। अप्रार्थीगण ने ऋण व उसके मय ब्याज के पुनर्भुगतान हेतु सिक्योरिटी के रूप मे बंधक **अचल सम्पत्ति श्रीमती चमेली बाई पत्नी श्री राम गोपाल मीणा जाति मीणा की सम्पत्ति जो पट्टा संख्या 10700, मिसल संख्या 2160, खसरा संख्या 1106, दिनांक 26.10.2007 ,वार्ड संख्या 09, ग्राम पंचायत ईटावा, जिला– कोटा (राज.) पर स्थित है। जिसमें भूमि भवन एवं ढांचा आदि जो सभी सम्पत्ति के अभिन्न अंग है जिसका माप लगभग 1800 वर्ग फिट है। जिसकी चारों दिशाएं उत्तर में– आम रास्ता, दक्षिण में– श्री फजलु, पूर्व में– श्री राम दयाल मीणा, पश्चिम में– श्री राधेश्याम तंवर स्थित है,** को प्रार्थी बैंक के पक्ष में गिरवीकृत किया गया था। अप्रार्थीगण ने नियमित रूप से प्रार्थी का उक्त ऋण का भुगतान नहीं कर सका और ऋण के भुगतान में व्यक्तिक्रम व डिफाल्ट होने पर प्रार्थी बैंक द्वारा अप्रार्थीगण के खाते को दिनांक 21.02.2019 को एन.पी.ए. कर दिया गया। अप्रार्थीगण के खाते में 5,02,660 रूपये (अक्षरे:– पाच लाख दो हजार छ सौ साठ रूपये मात्र) दिनांक 09.09.2019 तक व दिनांक 10.09.2019 से आगे की बकाया राशि मय

जिला मजिस्ट्रेट
कोटा (राज०)

ब्याज व खर्चे पूर्णभुगतान करने तक के लिए अप्रार्थीगण जिम्मेदार है । प्रार्थी बैंक ने उक्त एक्ट की धारा 13(2) के अन्तर्गत अप्रार्थीगण को दिनांक 12.09.2019 को रजिस्टर्ड डाक से नोटिस भी प्रेषित किये गये। नोटिस का हिन्दी समाचार पत्र राजस्थान पत्रिका व राष्ट्रदूत में दिनांक 12.01.2020 को प्रकाशन भी कराया। नोटिस प्राप्ति के बावजूद ऋण राशि मय ब्याज चुकाने मे चूक की है । ऋणी द्वारा बंधक सम्पत्ति का कब्जा भी प्रार्थी बैंक को नही संभलाया है । प्रार्थी बैंक द्वारा The Securitisation and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act, 2002 की धारा 14 के तहत उपरोक्त खाते मे देय राशि के पुर्नभुगतान हेतु रहनशुदा सम्पत्ति का कब्जा प्रार्थी बैंक को जरिये पुलिस इमदाद संभलाने के लिये यह प्रार्थना पत्र जरिये अभिभाषक प्रस्तुत किया गया ।

अभिभाषक प्रार्थी को सुना गया । अभिभाषक प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए प्रकट किया कि अप्रार्थीगणों को उसके खाते मे देय ऋण राशि मय ब्याज की राशि के भुगतान हेतु उक्त अधिनियम की धारा 13 (2) के अन्तर्गत प्रार्थी बैंक ने दिनांक 12.09.2019 को रजिस्टर्ड डाक से नोटिस भी प्रेषित किये गये। नोटिस का हिन्दी समाचार पत्र राजस्थान पत्रिका व राष्ट्रदूत में दिनांक 12.01.2020 को प्रकाशन भी कराया। नोटिस प्राप्ति के बावजूद ऋण राशि मय ब्याज चुकाने मे चूक की है । अतः उपरोक्त वर्णित सम्पत्ति का कब्जा प्रार्थी बैंक को या उसके द्वारा नियुक्त व्यक्ति को दिलवाने का आदेश फरमाते हुए प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जावे ।

हमने बहस पर मनन किया एवं पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजात का अवलोकन किया। प्रार्थी बैंक द्वारा उक्त अधिनियम की धारा 13(2) के अन्तर्गत दिनांक 12.09.2019 को रजिस्टर्ड डाक से नोटिस भी प्रेषित किये गये। नोटिस का हिन्दी समाचार पत्र राजस्थान पत्रिका व राष्ट्रदूत में दिनांक 12.01.2020 को प्रकाशन भी कराया। नोटिस प्राप्ति के पश्चात भी मांग की गई राशि का अप्रार्थीगणों द्वारा भुगतान नहीं किया है। अतः प्रार्थी बैंक द्वारा The Securitisation and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act, 2002 की धारा 14 के तहत प्रस्तुत प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है ऋणी की **अचल सम्पत्ति श्रीमती चमेली बाई पत्नी श्री राम गोपाल मीणा जाति मीणा की सम्पत्ति जो पट्टा संख्या 10700, मिसल संख्या 2160, खसरा संख्या 1106, दिनांक 26.10.2007 ,वार्ड संख्या 09, ग्राम पंचायत ईटावा, जिला– कोटा (राज.) पर स्थित है। जिसमें भूमि भवन एवं ढांचा आदि जो सभी सम्पत्ति के अभिन्न अंग है जिसका माप लगभग 1800 वर्ग फिट है। जिसकी चारों दिशाएं उत्तर में– आम रास्ता, दक्षिण में– श्री फजलु, पूर्व में– श्री राम दयाल मीणा, पश्चिम में– श्री राधेश्याम तंवर स्थित है,** का भौतिक कब्जा प्रार्थी बैंक द्वारा जरिये संबंधित पुलिस थाना इमदाद प्राप्त किये जाने के आदेश दिये जाते है । उक्त सम्पत्ति का कब्जा दिलाने हेतु पुलिस अधिकारियों/कर्मचारियों के वेतन भत्ता व यात्रा व्यय आदि का भुगतान नियमों मे देय है तो संबंधित बैंक द्वारा वहन किया जायेगा । आदेश की प्रति पुलिस अधीक्षक (ग्रामीण) कोटा को हस्ब कायदा जारी हो । सम्पत्ति के स्वामित्व अथवा कब्जे को लेकर किसी भी तरह का विवाद होने की स्थिति मे यह आदेश क्रियान्वित ना कर विवाद के संक्षिप्त विवरण सहित इस न्यायालय को लौटाया जावे ।

आदेश आज दिनांक 28.09.2021को सुनाया गया ।

(उज्ज्वल राठौड़)
जिला मजिस्ट्रेट
कोटा

जिला मजिस्ट्रेट
कोटा (राज०)